न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–237/2021
जीसी एम एस न0 2021/610

दर्ज दिनांक 10.09.2021
निर्णय दिनांक 02.02.2023

जगुराम उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री जीसुखराम जाट पेशा काश्तनिवासी गुमाना काबास तन छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र श्री जीसुखराम जाट
2. बुटीराम पुत्र हेमाराज जाट
3. बनवारी पुत्र हेमाराज जाट
4. सरदारा पुत्र हेमाराज जाट
5. जीवणराम पुत्र हेमाराज जाट
6. बरजी पत्नी हेमाराज जाट
7. नाराणी देवी पत्नी जीवणराम जाट

निवासीगण गुमाना का बास तन छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

8. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश
निर्णय

दिनांक 02.02.2023

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र जगुराम बनाम मंगलचन्द आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। यह कि ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 24 की खसरा न. 265, 267 व 268 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.47 है0 अवस्थित है जिसमें आवेदक का अविभाजित हिस्सा 1/6 है तथा अनावेदक संया 1 का 1/6 हिस्सा, अनावेदक संख्या 2 लगायत 6 का अविभाजित 1/3 हिस्सा एवं अनावेदिमा संख्या 7 का भी 1/3 हिस्सा है। ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 22 की खसरा न. 264, 266 का कुल किता 2 का कुल रकबा 3.24 है0 अवस्थित है जिसमें उक्त भूमि में आवेदक का 1/6 अविभाजित हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 1 का भी 1/6 हिस्सा है, अनावेदक संख्या 5 का 2/5 हिस्सा अवशेष हिस्सा अनावेदक संख्या 2, 3, 4, 6 क्रमशः 1/15 अविभाजित हिस्सा है। उपरोक्त भूमि शामलाती अविभाजित खातेदारी भूमि है। उपुर्यक्त वर्णित भूमि को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त में भूमि के नाम से सम्बोधित है। विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण 1 लगायत 7 का अविभाजित शामलाती सह खातेदारी की भूमि है। अनावेदकगण 1 व 2 अवि[illegible] भूमि के निश्चित भू भाग पर चार दीवारी व मकानात निर्माण कर जबरन कब्जा करने की कुचे[illegible] कर [illegible] हैं तथा रात–दिन निर्माण कार्य चला रहे हैं आवेदक वृद्ध व्यक्ति है अनावेदक सं[illegible] 08.09.2021 को अनावेदकगण को विवादित भूमि के निश्चित भू भाग पर निर्माण [illegible] मना कि[illegible] अनावेदकगण झगड़ा [illegible] आमादा हो गए तथा काश्त की किशम परिवर्तन [illegible] कर रहे हैं जबकि अनावेदकगण [illegible] संपरिवर्तन भूमि पर निर्माण करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि [illegible]मलाती सह खातेदारी की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:53:59 IST
Reason: SelfAttested

जिसका आवश्यक सुधार बिना विभाजन आवेदक द्वारा अपनी इच्छानुसार नहीं किया जा सकता तथा ऋण सम्बन्धी राजकीय सुविधाओं में भी अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होती है। अनावेदकगण मनमर्जी से इच्छानुसार निर्माण कर भूमि की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देंगे तो भूमि काश्त उपयोगी नहीं रहेगी इसलिए आवेदक ने दिनांक 09.09.2021 को वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस की कहने पर अनावेदकगण ने विभाजन कराने से साफ–साफ इन्कार कर दिया। आवेदक के लिए विवादित भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रास्ते का प्रयोजन रखते हुए करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि भूमि वादग्रस्त वर्णित धारा 1 व 2 खसरा न. 265, 267, 268, 264, 266 वाके ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ में स्थित भूमि में बिना संपरिवर्तन कराए निश्चित भू भाग पर निर्माण सहमति के रास्तों में अवरोध इत्यादि नहीं करें तथा आवेदक के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले तथा तादौराने मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 3, का जबाब का अवसर बंद किया गया । अप्रार्थी संख्या 5 व 7 ने जबाब प्रार्थना पत्र मूल पेश किया तथा निवेदन किया कि ग्राम गुमाना का बास के भूमि खसरा न0 264 रकबा 2.35 है0, खसरा न 0 266 रकबा 0.89 है0 स्थित है उक्त भूमि में अनावेदक न0 5 जीवण 2/5 हक हिस्सा का रिकोर्डेड सह खातेदार है तथा आपसी सहमती से काबिज काश्त है। तथा उक्त भूमि का कब्जा काश्त के मुताबिक विधिवत विभाजन किये जाने में अनावेदक न0 5 को कोई ऐतराज नही हे। तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी न0 7 नाराणी देवी 1/3 हक व हिस्सा की रिकोर्डेड सहखातेदार है तथा अपसी सहमती से काबिज काश्त है तथा विधिवत विभाजन किये जाने पर कोई ऐतराज नही हे। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,6 ने प्रार्थना पत्र मूल का पेश नही करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 8 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना–पत्र मूल श्रवण की गई। बहस प्रार्थना पत्र के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण 1 लगायत 7 का अविभाजित शामलाती सह खातेदारी की भूमि है। किसी भी न्यायालय द्वारा अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए अविभाजित शामलाती कब्जे खातेदारी भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है तथा भूमि के निश्चित भू भाग पर निर्माण बिना विभाजन कराए किसी भी खातेदार को अधिकार नहीं है। विवादित भूमि शामलाती सह खातेदारी की भूमि है जिसका आवश्यक सुधार बिना विभाजन आवेदक द्वारा अपनी इच्छानुसार नहीं किया जा सकता तथा ऋण सम्बन्धी राजकीय सुविधाओं में भी अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होती है। आवेदक के लिए विवादित भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रास्ते का प्रयोजन रखते हुए करवाया जाना आवश्यक है। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदक के पक्ष का होने से अपूर्णीय क्षति भी आवेदक को ही कारित होगी।अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि अनावेदकगण भी भूमि के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अनावेदकगण भी भूमि का विभाजन करवाना चाहते है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय हे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:53:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा बहस पर मनन किया गया । प्रार्थना पत्र मूल में वर्णित भूमि मे अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। आवेदकगण ने उक्त भूमि का विभाजन चाहा जिसके लिए अनावेदकगण ने सहमती दी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

6/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 02.02.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:53:59 IST
Reason: SelfAttested